न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–69/2015/भीलवाड़ा (2015/00025)

1. गोपाल पुत्र कल्याणमल, जाति पुरोहित, निवासी प्रताप टॉकीज के सामने, भीलवाड़ा ।

अपीलांट

बनाम

1. जगदीशचन्द पुत्र सोनहलाल, जाति ब्राहमण, नि0 नई नगरी, माण्डल, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आसीन्द ।
3. शिव प्रकाश बावरी तत्कालीन पटवारी हल्का करजालिया हाल पटवारी हल्का ब्राहमणों की सरेरी, तह0 आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 26.5.2015 अंतर्गत अपील संख्या 9/2014.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. श्री दिलीप सिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 व 3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 4.6.2018

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 26.5.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में तहसीलदार, आसीन्द द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 847 निर्णय दिनांक 17.2.2013 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम करजालिया, तहसील आसीन्द की आराजी नंबर 1418 रकबा 0.19 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 1 गोपाल की माता नर्मदा पुत्री नोला ब्राहमण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । अपीलांट की माता व व अपीलांट उक्त आराजी पर अपने पिता नोला के जीवनकाल से

काबिज काश्त चले आ रहे है । अपीलांट की माता नर्मदा देवी ने आराजी संख्या संख्या 1418 रकबा 0.19 है0 के संबंध में उप–पंजीयक, आसीन्द के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 1.7.2008 को एक पंजीकृत वसीयतनामा रूबरू गवाहान अपीलांट के पक्ष में निष्पादित कर दिया । दिनांक 12.4. 2012 को नर्मदादेवी को देहांत होने के पश्चात् नर्मदा देवी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 1418 बाबत् नर्मदा देवी द्वारा की गई पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतकरण की कार्यवाही प्रारंभ की गई । बाद जांच तहसीलदार, आसीन्द ने नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2.2013 को वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे स्वीकृत किया किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 जिसका नामांतकरण संख्या 847 में लिप्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा एवं ना ही उसका उक्त आराजी से लेना–देना रहा परन्तु इसके बावजूद विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष नामांतकरण संख्या 847 के विरूद्ध अपील इन कथनों के साथ प्रस्तुत की गई कि नामांतकरण में लिप्त आराजी के संबंध में एक राजस्व वाद न्यायालय में जैरकार है एवं विचाराधीन वाद में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी थी इसके बावजूद नामांतकरण गोपाल के नाम स्वीकार किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जावे । विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने निर्णय दिनांक 26.5.2015 द्वारा नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2.2013 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, आसीन्द को प्रतिप्रेषित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 की बहस सुनी गई ।

xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 संख्या 1 नामांतकरण की कार्यवाही में पक्षकार नहीं था । ऐसी स्थिति में धारा 96 जा0दी0 के प्रावधानानुसार उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेना आवश्यक था । बिना अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किये प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं थी । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा तहसीलदार, आसीन्द के नामांतकरण आदेश दिनांक 17.2.2013 के विरूद्ध करीब एक वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की थी, जो अति विलंब से प्रस्तुत की गई थी जबकि रेस्पो0 संख्या 1 को नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2.2013 की जानकारी प्रारंभ से ही थी । रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे मनगढ़ंत एवं संतोषप्रद नहीं थे । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने नामांतकरण संख्या 847 को इस आधार पर विवादास्पद माना है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के

न्यायालय में वाद संख्या 71/2006 जगदीश चंद्र बनाम श्रीमती नर्मदा देवी संस्थित होकर प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में स्थगन आदेश दिनांक 5.5.2008 जारी था परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कोई जांच नही कर विवादित नामांतकरण को स्वीकार किया गया है । अधी0न्याया0 ने उक्त फाईडिंग देने से पूर्व इस कानूनी बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि श्रीमती नर्मदा देवी नामांतकरण में लिप्त आराजी की खातेदार थी जिसका स्वर्गवास दिनांक 12.4.2012 को हो चुका था । अपीलांट के पक्ष में नर्मदा देवी द्वारा विधिवत् पंजीकृत वसीयतनामा किया गया था ऐसी स्थिति में मृतक नर्मदा देवी के विरासत के समस्त अधिकार अपीलांट में समाहित हो चुके थे । तहसीलदार को मृतक के नाम राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियां वैद्य वसीयत के आधार पर एवं विरासत के आधार पर नामांतकरण को निर्णित किये जाने के संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस कानूनी बिन्दू को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि यदि नामांतकरण में लिप्त आराजी बाबत् वाद जैरकार है तो ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को वाद के निर्णय अनुसार नामांकरण निर्णित किये जाने के आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 26.5.2015 अपास्त किया जावे तथा नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2.2013 को यथावत् रखा जावे । xx

4- विद्वान वकील रेस्पोडेट संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विवादित आराजी खसरा नंबर 1418 रकबा 0.19 है0 अपीलांट की माता नर्मदा देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में थी । रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की माता नर्मदा देवी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के न्यायालय में एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पेश किया था । उक्त वाद में अपीलांट जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर की हैसियत से नर्मदा देवी की और से उपस्थित हुआ तथा जवाब दावा प्रस्तुत किया है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा ने रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 71/2006 को स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजी बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी जो आज भी प्रभावी है । इसके बावजूद तहसीलदार, आसीन्द ने वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2.2013 को पारित किया है जो प्रारंभ से अवैध एवं प्रभाव शून्य है । अपीलांट को उक्त स्थगन आदेश की जानकारी होने के बावजूद पटवारी हल्का से मिलीभगत करके उक्त नामांतकरण आदेश पारित कराया है जो विधि विरूद्ध होने से अधी0न्याया0 ने नामांतकरण संख्या 847 को अपास्त किया है । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे । xx

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1418 रकबा 0.19 है0 की खातेदार नर्मदा देवी पुत्र नौला थी । नर्मदा देवी की मृत्यु उपरांत तहसीलदार, आसीन्द ने विवादित आराजी का नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2.2013 पंजीकृत वसीयत दिनांक 1.7.2008 के आधार पर अपीलांट के नाम स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये है । रेस्पो0 का मुख्य कथन है कि रेस्पो0 ने विवादित आराजी के संबंध में नर्मदा देवी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के न्यायालय में राजस्व वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 71/ 2006 में पारित निर्णय दिनांक 5.5.2008 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर स्थगन आदेश पारित किया था तथा उक्त स्थगन आदेश के बावजूद तहसीलदार, आसीन्द ने तथाकथित नामांतकरण संख्या 847 स्वीकृत किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबंध में रेस्पो0 द्वारा विवादित आराजी की खातेदार नर्मदा देवी के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के न्यायालय में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 भी प्रस्तुत किया था । उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर स्थगन आदेश जारी किया था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त वाद संख्या 174/2006 वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के न्यायालय में स्थानांतरित होकर विचाराधीन है । उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 5.5.2008 एवं राजस्व वाद के विचाराधीन रहते तहसीलदार, आसीन्द द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर मृतक नर्मदा देवी की आराजी का नामांतकरण अपीलांट के नाम खोला गया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है किन्तु यही भी विचारणीय बिन्दु है कि अधी0न्याया0 द्वारा तहसीलदार, आसीन्द के द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2.2013 अपास्त किये जाने से पूर्व की स्थिति कायम किये जाने से विवादित आराजी मृतक के नाम रहती है एवं इसके अलावा वाद बाहुल्यता को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । प्रकरण में हम न्यायहित में विवादित आराजी के संबंध में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 174/2006 के निर्णय तक नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2. 2013 को विवादित करार दिया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 26.5.2015 को अपास्त किया जाकर विवादित नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2.2013 को विवादित करार दिया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 69/2015 (2015/00025) बउनवानी गोपाल बनाम जगदीश को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 9/2014 बउनवान जगदीश बनाम गोपाल में पारित निर्णय दिनांक 26. 5.2015 को अपास्त किया जाता है तथा नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2.2013 ग्राम ग्राम करजालिया, तह0 आसीन्द को विद्वान उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 174/2006 के निर्णय तक विवादित करार दिया जाता है । तहसीलदार, आसीन्द नियमानुसार नामांतकरण संख्या 847 दिनांक 17.2.2013 ग्राम करजालिया में विवादित होने का नोट राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से अंकित करे । निर्णय की प्रति तहसीलदार, आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 4.6.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर